# न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 372/23 (धारा 75 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2023/397)

1. मुरारीलाल पुत्र प्रभूलाल जाति मीना
2. पानबाई पत्नी मुरारीलाल जाति मीना (मृतक)
   - 2/1 राकेश कुमार पुत्र मुरारीलाल जाति मीना निवासीयान मलारना चौड तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर।
   - 2/2 सीमा पुत्री मुरारीलाल पत्नी हनुमान निवासी प्रताप नगर जयपुर।
   - 2/3 नरेश बाई पुत्री मुरारी जाति मीना निवासी मलारना चौड, तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. जगदीश पुत्र मयराम
2. भरतलाल पुत्र मयराम
3. किशनलाल पुत्र मयराम
4. मन्नालाल पुत्र मयराम
5. मुरारीलाल पुत्र मयराम
6. मुकेश कुमार पुत्र मयराम
7. बसन्ती पुत्री मयराम जातियान मीना निवासी मलारना चौड तहसील मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर।
8. आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपजिला कलक्टर सवाईमाधोपुर।
9. लैण्ड होल्डर तहीलदार मलारनाडूगर।

..... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर निर्णय दिनांक 14.03.2022 वसिलसिले दिनांक 03.12.1972 का एलोटमेन्ट केन्सिल किये जाने।

उपस्थितिः–

1. श्री राधेश्याम वैष्णव वकील अपीलान्ट।
2. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल वकील रैस्पोडेन्टस।

## निर्णय

दिनांकः– 31.01.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 14.3.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई मांधोपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ, भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 के खिलाफ पेश करते हुये निवेदन किया कि उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन दिनांक 03.12.

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

1972 वहक रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 के पिता मयाराम पुत्र लाल्या जाति मीना निवासी ग्राम मलारना चौड विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किया जावे। तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा बाद कार्यवाही प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2022 पारित करते हुये अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज करते हुये रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 के पिता मयाराम पुत्र लाल्या जाति मीना निवासी ग्राम मलारनाचौड के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 03.12.1972 में कोई विधिक त्रुटी नहीं होने के कारण यथावत रखा गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के इस अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.3.2022 के खिलाफ अपीलान्टस द्वारा यह अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों व लिखित बहस पेश करते हुए तर्क दिया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2022 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित नियमन आदेश दिनांक 03.12.1972 विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय था। इसके बाबजूद भी इस आदेश को यथावत रखने में अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के पिता मयाराम पुत्र लाल्या मीना को अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नमबर 381 रकबा एक बीघा 18 विस्बा का नियमन आदेश दिनांक 03.12.1972 को करना बताया है। जबकि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 का खसरा नम्बर 3815 रकबा 1 वीघा 18 विस्बा में से एक विस्बा भूमि पर भी कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। इसके उपरान्त भी उक्त असत्य नियमन आदेश की आड में उक्त भूमि खसरा नम्बर 381 के स्थान पर खसरा नम्बर 3815 को राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से अपने नाम दर्ज कराया गया है। जबकि नियमन आदेश खसरा नंबर 381 का था, जिसका कि नियमन आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि जिस खसरा नंबर का नियमन किया गया है। वह अलग है तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा जिस खसरा नंबर की प्रविष्टि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के पक्ष में की गई है। वो अलग है, इसलिए अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध है। प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता मयाराम ने खसरा नम्बर 3815 हाल खसरा नम्बर 6281 की भूमि को कभी भी काश्त नहीं की। साविक खसरा नम्बर 3815 से बने हाल खसरा नंबर 6281 रकबा 0.35 है0 पर अपीलान्टान का ही वर्षों पूर्व से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है, जो कि तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा दिनांक 13.12.2019 को अदालत मातहत में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से साबित हो रहा है। उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा भी नियमन आदेश पारित करने से पूर्व मौके पर कब्जे के संबंध में कोई जांच नहीं की तथा न हीं कोई मौका रिपोर्ट मंगवाई, बल्कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता मयाराम ने मिलकर खसरा नम्बर 381 के स्थान पर खसरा नम्बर 3815 का अंकन फर्जी करा लिया। जबकि अपीलान्टस का अमरूदों का बगीचा उक्त आराजीयात में लगा हुआ है तथा इस

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वर्ष भी गेहूं की फसल काश्त की है। उक्त नियमन आदेश दिनांक 03.12.1972 से लेकर आज दिनांक तक रैस्पोडेन्ट के पिता ने उक्त भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की। इस कारण उक्त नियमन आदेश अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलाधीन भूमि खसरा नम्बर 6281 तालवी पेटा भूमि है तथा उक्त भूमि खसरा नम्बर 6281 के पास अपीलान्टान की भूमि खसरा नम्बर 6175, 6174 की क्रयशुदा भूमि है, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अपीलान्ट पानबाई के नाम से दिनांक 28.08.2019 को क्रय की गई थी। इस भूमि के सहारे खसरा नम्बर 6181 की भूमि है जो मौके पर एक ही चक के रूप में है जिस पर अपीलान्टान का ही निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। दिनांक 12.12.2019 को जो मौका रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के आदेश से तैयार करवाई गई है। उसमें विवादित भूमि अपीलान्ट के कब्जे में होना बताया है। उक्त भूमि मुख्य रोड पर आने के कारण उक्त फर्जकारी कर रैस्पोडेन्ट ने विवादित आराजीयात को अपने नाम से राजस्व कर्मचारियों से साज कर लगवाया है, जो कि नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। नियमन संबंधी नियमों के अनुसार भी राजकीय भूमि पर लगातार कब्जा होने के आधार पर ही भूमि नियमन की जाती है, लेकिन रैस्पोडेन्टस का न तो पूर्व में कभी कब्जा रहा और न ही आज ही कब्जा है। इसके अलावा उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत की ओर से क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर स्वीकृत किया गया है। जबकि नियमानुसार सर्वप्रथम रैस्पोडेन्टस को नियमन के बाद गैर खातेदारी अधिकार दिये जाने चाहिए थे। उसके बाद कब्जा मौका देखकर गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था, जो कि उक्त प्रकरण में नहीं किया गया। इसलिए अपीलाधीन आदेश प्रारम्भ से ही शून्य प्रभाव लिए हुए आदेश की श्रेणी में आता है तथा शून्य आदेश को किसी भी समय सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर रद्द करवाया जा सकता है। फिर भी अपीलान्टस की ओर से मीमो आफ अपील में यह उल्लेख किया गया है कि अपीलान्टस के वकील श्री बी0के0 उपाध्याय द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध नियमन आदेश की अपील नहीं कर उसके स्थान पर आवंटन निरस्त कराने का प्रार्थना पेश कर दिया जो दिनांक 14.03.2022 को निर्णित हो चुका है। अपीलान्टान ग्रामीण परिवेश के अनपढ व्यक्ति है जिन्हें कानून का ज्ञान नहीं होने के कारण अब वकील द्वारा सही सलाह देने पर उक्त अपील निर्णय दिनांक 14.03.2022 की नकल दिनांक 24.03.2022 को प्राप्त होने के उपरान्त जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपील पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी अदालत हाजा में पेश किया गया है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावे, क्योंकि रैस्पोडेन्ट की ओर से किसी प्रकार का कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया गया कि रैस्पोडेन्ट को खसरा नंबर 381 का नियमन किया गया है तो राजस्व रिकार्ड में बिना किसी अधिकार के खसरा नंबर 3815 पर रैस्पोडेन्ट का नाम दर्ज किस आधार पर हुआ। इस बिन्दु को भी अदालत मातहत द्वारा नहीं देखा गया। पटवारी हल्का द्वारा नियमन बाबत जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उसमें भी विवादित खसरा नंबर पर पुराना कब्जा होने

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

या फसल काश्त होने की कोई रिपोर्ट नहीं की इसके बाबजूद भी तहसीलदार बौंली द्वारा नियम विरूद्ध खसरा नंबर 381 के नियमन की सिफारिश की गई, जिसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खसरा नंबर 381 का नियमन रैस्पोडेन्ट के पक्ष में किया गया, जो कि उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में नियम विरूद्ध है, परन्तु अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त उपरोक्त तथ्यों पर गौर नहीं किया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित नियमन संबंधी आदेश दिनांक 03.12.1972 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 14.03.2022 निरस्त किया जाकर विवादित भूमि को राजकीय भूमि दर्ज किया जावे तथा दोषी राजस्व कर्मचारी जिन्होंने खसरा नंबर 381 के स्थान पर खसरा नंब 3815 दर्ज किया है, के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस की ओर से गलत तथ्यों पर अदालत हाजा में अपील पेश की गई है, क्योंकि उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा आदेश दिनांक 03.12.1972 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि आवंटित नहीं कर पुराने कब्जे के आधार पर भूमि नियमन किये जाने का आदेश दिया है। इस आदेश का अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर ने पूर्ण परीक्षण करने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.03.2022 को पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से मियाद बाहर अपील अदालत मातहत व अदालत हाजा में पेश की गई है। इस आधार पर भी अपील मेन्टनेबल नहीं है। इस संबंध में वकील अपीलान्ट ने 2016 (4)आर.एल.डब्ल्यू पेज 3181 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उक्त नजीर में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि आवंटन के 24 वर्ष बाद आवंटन को चुनौती दिये जाने को उचित नहीं मानते हुए यह माना है कि दशकों से भी अधिक अवधि के पश्चात आवंटन निरस्त करना अपोषणीय था। चूंकि रैस्पोडेन्टस को उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 03.12.1972 को विवादित भूमि का नियमन किया है। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्टस की ओर से लगभग 47 वर्ष पश्चात अदालत मातहत में अपील पेश की है। अतः उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद संबंधी बिन्दु पर ही निरस्तनीय है। विवादित भूमि से अपीलान्ट का कभी कोई लेना–देना नहीं रहा है, क्योंकि स्वयं अपीलान्ट ने यह स्वीकार किया है कि वर्ष 2019 में विवादित भूमि के पास की भूमि उनके द्वारा क्रय की गई है। इसलिए यह कहा जाना कि विवादित भूमि अपीलान्टस की खातेदारी के पास स्थित है तथा इस भूमि पर वर्षों पुराना कब्जा है, गलत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.03.2022 यथावत रखा जांवे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि वकील रैस्पोडेन्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खसरा नंबर 381 का नियमन किया गया था। जबकि राजस्व कर्मचारी से मिलकर 381 के स्थान पर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

खसरा नंबर 3815 को नियमन करवाये जाने का आदेश किस आधार पर करवाया गया। चूंकि उपखण्ड अधिकारी की ओर से नियमन किये गये आदेश का खसरा नंबर व रैस्पोडेन्ट के पक्ष में दर्ज खातेदारी के खसरा नंबर अलग–अलग होने के कारण अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है, क्योंकि इस बारे में विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने कोई अभिमत अपीलाधीन निर्णय में नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.03.2022 निरस्त किया जावे तथा प्रकरण विस्तृत जॉच हेतु रिमाण्ड किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्टस की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2022 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 18.05.2022 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्टस की ओर से मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया है और न ही किसी प्रकार का कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। इसलिए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्टस की ओर से अदालत मातहत में राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत रैस्पोडेन्टस के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर ने उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.03.2022 को पारित किया है। उक्त निर्णय में विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने यह माना है कि अपीलान्टस के अभिभाषक ने दौराने बहस विवादित भूमि पर भौतिक कब्जा होने के संबंध में खसरा परिवर्तनशील की प्रति पेश की है, परन्तु विवादित भूमि का साविक रकबा कुल कितना दर्ज है। इसका मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया है। इसी प्रकार अपीलान्टस की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि साविक खसरा नंबर 3815 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा पर मृतक मयाराम पुत्र लाल्या मीना का अतिक्रमण होने की पटवारी हल्का मलारना चौड़ द्वारा सम्वत् 2027 में एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत रिपोर्ट किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 03.12.1972 को नियमन किया गया था। नियमन की गई भूमि पर आवंटन रूल 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होना माना है। उक्त निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि प्रार्थी ने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि का नियमन होना स्पष्ट नहीं किया है। अपीलाधीन निर्णय में राजस्व अपीलीय अधिकारी सवाई माधोपुर के

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

न्यायालय में लम्बित अपील संख्या 17/20 उनवानी मुरारी बनाम जगदीश वगैराह में पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत की है। जिसमें अपीलान्ट संख्या 2 पानबाई को मृतक दर्शा रखा है। जबकि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा मृतक पानबाई के वारिसान को रिकार्ड पर लेने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस आधार पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। विवादित भूमि खसरा नंबर 3815 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा पर मृतक मयाराम पुत्र लाल्या जो कि विपक्षीगण के पिता थे, का नियमन से पूर्व ही कब्जा होने के कारण तहसीलदार बौंली द्वारा की गई नियमन की अभिशंषा के आधार पर उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा नियमन आदेश दिनांक 03.12.1972 को पारित किये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं मानी है। निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि खसरा नंबर 6281 साविक खसरा नंबर 3815 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा में रैस्पोडेन्ट को खातेदारी अधिकार दिये जा चुके हैं व वर्तमान में विवादित भूमि खातेदारी में होने के कारण अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने व सारहीन होने के कारण खारिज किया है। उक्त आदेश में हमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत नियमन संबंधी रिपोर्ट में खसरा नंबर 3815 मिन रकबा 1 बीघा 18 विस्वा का उल्लेख तथा अनाधिकृत कब्जा बाबत पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट निर्णय आदि में भी खसरा नंबर 3815 का भी उल्लेख है। जहां तक विवादित भूमि के गैर मुमकिन तालाबी भूमि होने का प्रश्न है तो इस संबंध में अपीलान्टस की ओर से किसी प्रकार का कोई रिकार्ड या दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। वरन् अदालत हाजा में प्रस्तुत दस्तावेजात में उक्त भूमि की किस्म बंजड दर्ज है। पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 12.12.2019 व तहसीलदार मलारना डूंगर की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 13.12.2019 में भी खसरा नंबर 6281 के कुछ भाग पर मुनीराज पुत्र मयराम मीना के गेंहू व अमरूदों के पौधे होना बताया। इसके अलावा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर का यह अभिमत भी उचित प्रतीत होता है कि विवादित भूमि का रैस्पोडेन्टस को नियमन किया गया है तथा बाद नियमन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए हैं। ऐसी स्थिति में खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र के आधार पर नियमन को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.03.2022 में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्टस खारिज की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.03.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर